

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। उसे धारा मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे कारावास का दण्ड भोगना होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।